



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2319]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2011/अग्रहायण 22, 1933

No. 2319]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2011/AGRAHAYANA 22, 1933

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2011

New Delhi, the 13th December, 2011

का.आ. 2775(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है :—

S.O. 2775(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated the following persons as members of the said Authority, namely :—

1. प्रो. हर्ष गुप्ता
2. श्री बी. भट्टाचारजी
3. श्री के. एम. सिंह, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)

1. Prof. Harsh Gupta
2. Shri B. Bhattacharjee
3. Shri K. M. Singh, IPS (Retd.)

[फा. सं. 44-12/2010-एन.डी.एम.-II]

[F. No. 44-12/2010-NDM-II]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.